न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज.

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या –- 83 / 2018

वादी – 1. गंगादेवी पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

2. सन्तोष कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

बनाम

प्रतिवादी – 1. रामनिवास पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी मालास गुसाईयां तहसील परबतसर जिला नागौर हॉल परबतसर।

2. रामपालसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राव निवासी नड़वा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0 हाल निवासी परबतसर।

3. गुलाबसिंह पुत्र शक्ति सिंह जाति चारण निवासी प्लॉट संख्या 1 मॉ करणी नगर वैशाली नगर जयपुर हॉल परबतसर।

4. तंवर कंवर पुत्री सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर।

5. नानीकंवर उर्फ सुरज्ञान कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर।

6. निर्मलसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर।

7. भगवानसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी परबतसर।

8. आनन्दसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी परबतसर।

9. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 28.1.19

–:: निर्णय ::–

उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर की सरहद में खेत खसरा नंबर 2250 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नंबर 2252 रकबा 0.9770 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0270 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर हो रखा है। मौखिक बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। विवादित आराजीयान की भूमि में से वादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नंबर 2250 में रकबा 0.0400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2252 में से 0.8494 हैक्टेयर भूमि आई है तथा वादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नंबर 2252 में से 0.0171 हैक्टेयर भूमि आई है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नंबर 2252 में से 0.0247 हैक्टेयर भूमि आई है। प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नंबर 2250 में से 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2252 में से 0.0175 हैक्टेयर भूमि आई है। प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के हिस्से में खसरा नंबर 2252 में से 0.0202 हैक्टेयर भूमि आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर भूमि का बंटवाड़ा कर रखा है मगर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को माफिक मौके के राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का कहा तो उन्होने आना–कानी की जिससे यह दावा पेश किया है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम परबतसर के खेत खसरा नंबर 2250 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नंबर 2252 रकबा 0.9770 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0270 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवाड़ा किया जावे तथा वादीगण के हिस्से का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज पृथक से दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हक बंट की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के विरूद्व बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। बकाया प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश करते हुए माफिक दावा बंटवाड़ा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने उपस्थित पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में विवादित भूमि ग्राम परबतसर के खेत खसरा नंबर 2250 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नंबर 2252 रकबा 0.9770 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0270 हैक्टेयर के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार है तथा जमाबन्दी में सभी सहखातेदार का हिस्सा रकबा खुला हुआ है। वादीगण के कथन अनुसार भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है तथा सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया है तथा दावा डिक्री किये जाने का कथन अपने

उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

इकबाली जवाब दावा में किया है। चुकि वादीगण विवादित भूमि के रेकोर्डेड खातेदार है तथा उन्हे अपनी खातेदारी भूमि में से अपना हक बंट पृथक करवाने के पूर्ण अधिकार है इसमें प्रतिवादीगण को भी कोई एतराज नहीं है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद माफिक इकबाली जवाब दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम परबतसर के खेत खसरा नंबर 2250 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नंबर 2252 रकबा 0.9770 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0270 हैक्टेयर भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावे। नियमानुसार बंटवाड़ा स्टॉम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.1.19 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

डिक्री मुकदमां ईब्तदाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला नागौर, राज.**
अज अदालत :– श्री शक्ति सिंह भाटी, आंर.ए.एस.
दावा बाबत :– 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

वादी – 1. गंगादेवी पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
2. सन्तोष कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

बनाम

प्रतिवादी –1. रामनिवास पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी मालास गुसाईयां तहसील परबतसर जिला नागौर हॉल परबतसर। 2. रामपालसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राव निवासी नड़वा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0 हाल निवासी परबतसर। 3. गुलाबसिंह पुत्र शक्ति सिंह जाति चारण निवासी प्लॉट संख्या 1 मॉ करणी नगर वैशाली नगर जयपुर हॉल परबतसर। 4. तंवर कंवर पुत्री सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर। 5. नानीकंवर उर्फ सुरज्ञान कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर। 6. निर्मलसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल परबतसर। 7. भगवानसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी परबतसर। 8. आनन्दसिंह पुत्र सुप्यार कंवर जाति राजपूत निवासी भिलावट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी परबतसर। 9. तहसीलदार परबतसर

मुकदमां नम्बर :– 83/2018 निर्णय दिनांक :– 28.1.19

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू...... मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–
वाद वादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम परबतसर के खेत खसरा नंबर 2250 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नंबर 2252 रकबा 0.9770 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0270 हैक्टेयर भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावे। नियमानुसार बंटवाड़ा स्टॉम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.1.19 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः [signature]
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा	–	–	स्टम्प अर्जीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीजान	–	–	मीजान	–	–